स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका–निपनिया

जिलाः बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

स्थापना वर्षः 2018

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्ध

विवरण–पत्रिका

सत्र 2025–26

दूरभाषः 07726–296860

ई–मेलः govtnaveencollegemopka@gmail.com

वेबसाईटः www.gcmopka.in

जीवन परिचय

स्व. रामनाथ वर्मा जी

श्री रामनाथ वर्मा जी का जन्म 01 जनवरी सन् 1901 ग्राम–मोपका, वर्तमान जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री तिलक राम वर्मा एवं माता का नाम श्रीमती जानकी बाई वर्मा थी।

स्व. रामनाथ वर्मा जी बचपन से ही मेधावी होने के साथ जिद्दी प्रवृत्ति के थे। किसी कार्य को करने की ललक जब तक ना हो जाए तब तक मन में खटक बना रहता था और सरल और सहज स्वभाव के कारण उस समय भी अपने कार्य को कराने में पारंगत थे। भाटापारा जनपद के मोपका ग्राम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बडा था, परन्तु शिक्षा का स्तर बहुत कम था। इसलिए स्व. रामनाथ वर्मा जी ने निश्चय किया की मोपका में उच्च शिक्षा की उचित व्यवस्था हो इसलिए ग्राम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के लिए प्रयास किये। पूर्व में उनके द्वारा अपने घर से ही शाला संचालित करते थे, तथा दोपहर का भोजन विद्यार्थियों के लिए स्वयं के व्यय पर करवाते थे। ग्राम–मोपका में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के लिए उन्होनें अपने निजी छः एकड जमीन दान दिये।

वर्मा जी इस कार्य से ही संतुष्ट नहीं हुए और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के लिए संपन्न परिवार के एक मात्र पुत्र होने के बावजूद भरी बरसात, गरमी की तपीस, ठंड की मार को झेलते हुए प्रतिदिन पैदल मोपका से निपनिया पोस्ट ऑफिस थैला लेकर हलकारा का काम किया। तदोपरांत ग्राम मोपका में डाक सेवा लाने में सफल हुए।

रामनाथ वर्मा जी का मन इतने में नहीं भरा और ग्रामीणो को एक मंच में बैठाने के लिए एक पंचायत भवन की आवश्यकता महसूस किये। जिसके लिए उन्होने गांव में स्वयं मुनादि कर मां महामाया के प्रांगण में बैठक आहुत किये, और भवन निर्माण के लिए सहयोग मांगा। इस तरह गांव वालो के सहयोग एवं वर्मा जी के अथक प्रयास से पंचायत भवन का निर्माण हुआ।

रामनाथ वर्मा जी के जनकल्याण कार्य यहीं विराम नहीं हुआ, बल्कि लोगो के घर–घर जाकर बच्चों को पढाने की हिदायत दिये। शिक्षा के प्रति वर्मा जी का विशेष लगाव था जिसके परिणाम स्वरूप मोपका गांव के लगभग 350 लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं में रहकर मां भारती की सेवा कर रहे है। वर्मा जी के इस जनकल्याण कार्य से प्रभावित होकर स्व. बृजलाल वर्मा (पूर्व केन्द्रीय मंत्री) ने बलौदाबाजार के एक आम सभा में मंच के माध्यम से उन्होने वर्मा जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ''मैं भारत का केन्द्रीय मंत्री के हैसियत से जिस कार्य को अंजाम न दे सका उसे रामनाथ वर्मा जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमता से करके दिखाया''।

कालांतर में चुनाव हुआ और उन्हे एक तरफा मत देकर सरपंच पद का भार सौंपा गया। ऐसे विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यो से वर्मा जी का इतिहास भरा हुआ है। आज हम जिस मंच मे है उन्ही के बदौलत है, अन्यथा वह 6 एकड जमीन दान नही दिये होते तो ग्राम मोपका में शिक्षा जगत का यह दृश्य शायद ही देखने को मिलता। महान पथ प्रदर्शक के नाम पर महाविद्यालय का नामकरण होना न्यायोचित है। ऐसे विभूति को हम इस महाविद्यालय परिवार के तरफ से नत् मस्तक नमन करते है।

प्राचार्य संदेश...

"शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को उसके सही उद्देश्य तक पहुँचाती है।"

किसी महाविद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा और ज्ञान प्रदान करना ही नही है, बल्कि छात्रों के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करना भी है। स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका–निपनिया छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के मोपका गाँव में स्थित है। जिसकी स्थापना 2018 में भाटापारा शहर के आसपास के गाँवों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में यह पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) से सम्बद्ध है।

यह महाविद्यालय छात्रों के बेहतर एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने हेतु प्रयासरत् है। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण महाविद्यालय की चुनौतियाँ बढ़ जाती है।

यह प्रवेश विवरिणका वर्तमान शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी है। यह महाविद्यालय बहुत ही कम समय में छात्रों के चहुँमुखी विकास के लिए प्रयासरत् है। अपनी स्थापना की अल्प अवधि में ही इस महाविद्यालय ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है।

प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है। विगत शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय प्रबंधन ने छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनेक सकारात्मक प्रयास किये है। व्यक्तित्व विकास पर विशेषज्ञो के व्याख्यान, यूथ–रेडक्रास, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जन चेतना के कार्य एवं सांस्कृतिक साहित्य प्रोत्साहन से विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। सीमित संसाधनों में कुछ बेहतर कर गुजरने वाले छात्र–छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ। निःसंदेह यह महाविद्यालय छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने में सहायक होगा।

विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए।

–डॉ. अभिलाषा सैनी

विवरणिका

क.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	छत्तीसगढ़ का राजगीत	1
2.	शैक्षणिक कैलेण्डर	2–3
3.	प्रवेश के नियम	4–13
4.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम	14
5.	शुल्क विवरण	15
6.	छात्रवृत्तियां	16
7.	महाविद्यालय ग्रंथालय	16
8.	महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं	17
9.	प्लेसमेंट सेल	17
10.	आंतरिक शिकायत समिति	17
11.	सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ	17
12.	एन.एस.एस.	17
13.	रेड–रिबल क्लब	17
14.	यूथ रेड–कॉस	18
15.	महिला शिकायत निवारण समिति	18
16.	युवा उत्सव	18
17.	कीडा	18
18.	हेल्प–डेस्क	19
19.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	19
20.	एण्टी रैगिंग समिति	20
21.	महाविद्यालयीन स्टॉफ	21
22.	विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट भागीदारीः	22

टीपः स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय मोपका–निपनिया, भाटापारा से 17 कि.मी., उत्तर–पूर्व दिशा, बलौदाबाजार से 20 कि.मी. पश्चिम–पूर्व एवं निपनिया से 5 कि.मी.दक्षिण–पूर्व में स्थित है।

छत्तीसगढ़ का राजगीत

अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार
इंदरावती हा पखारय तोर पईयां,
महूं पांवे परंव तोर भुँइया
जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मईया

सोहय बिंदिया सहीं, घाट डोंगरी पहार
चंदा सुरूज बनय तोर नैना
सोनहा धाने के अंग, लुगरा हरियर हे रंग
तोर बोली हावय सुग्घर मैना
अंचरा तोर डोलावय पुरवईया
महूं पांवे परंव तोर भुँइया
जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मईया

रयगढ़ हावय सुग्घर, तोरे मउरे मुकुट
सरगुजा अउ बिलासपुर हे बइहां
रयपुर कनिहा सही, घाते सुग्घर फबय
दुरूग बस्तर सोहय पैजनियाँ
नांदगांव नवा करधनियाँ
महूं पांवे परंव तोर भुँइया
जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मईया

– डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा

शैक्षणिक कैलेंडर 2025–26

क.	अकादमिक कार्य का विवरण	स्नातक (I/III/V/VII) सेमेस्टर		स्नातक (II/IV/VIII) सेमेस्टर	
1	प्रवेश प्रकिया	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु
	प्रथम सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	पंजीयन 31 अगस्त 2025	–	–
	कुलपति के अनुमति से	14 अगस्त 2025 तक	–	–	–
	अन्य सेमेस्टर हेतु (III/V/VI)	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 तक	–	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 तक	–
2	कक्षाओं का आरंभ	01 जुलाई 2025 से	–	02 जनवरी 2026	–
3	महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन	20 से 31 जुलाई 2025 के मध्य	15 सितम्बर 2025 तक	10 से 15 जनवरी 2026 के मध्य	30 जनवरी 2026 तक
4	विद्यार्थियों द्वारा GE/DSE & VAC/SEC का चयन किया जाना	05 अगस्त 2025 तक	25 सितम्बर 2025 तक	15 जनवरी 2026 तक	30 जनवरी 2026 तक
5	GE/DSE & VAC/ SEC कोर्सवार विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जाना	20 अगस्त 2025 तक	30 सितम्बर 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक	10 फरवरी 2026 तक
6	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत विद्यार्थियों को आसाईनमेंट का आबंटन	25 अगस्त 2025 तक	30 सितम्बर 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक	10 फरवरी 2026 तक
7	सतत् आंतरिक मूल्यांकन(CIA) अंतर्गत प्रथम टेस्ट / क्वीज	8–12 सितम्बर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	24–28 फरवरी 2026 तक	10 मार्च 2026 तक
8	स्तत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत द्वितीय टेस्ट / क्वीज	13–17 अक्टूबर 2025 तक	10 नवम्बर 2025 तक	06–10 अप्रैल 2026 तक	10 अप्रैल 2026 तक
9	स्तत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत असाइनमेंट का मूल्यांकन	10 नवम्बर 2025 तक	20 नवम्बर 2025 तक	15 अप्रैल 2026 तक	24 अप्रैल 2026 तक
10	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	10–20 नवम्बर 2025 तक	10–20 नवम्बर 2025 तक	15–24 अप्रैल 2026 तक	15–24 अप्रैल 2026 तक
11	परीक्षा पूर्व तैयारी	21–27 नवम्बर 2025 तक	–	24–30 अप्रैल 2026 तक	–
12	स्तत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) प्राप्तांको का विश्वविद्यालयों का प्रेषण	22 नवम्बर 2025 तक	22 नवम्बर 2025 तक	28 अप्रैल 2026 तक	28 अप्रैल 2026 तक
13	अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE)	28 नवम्बर 2025 से		04 मई 2026 से	

वार्षिक प्रणाली अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम

क्र.	अकादमिक कार्य/गतिविधियां	तृतीय वर्ष हेतु तिथियां
1	प्रवेश प्रक्रिया	31.07.2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक
2	शिक्षण कक्षाए प्रारंभ	01.07.2025 से
3	वार्षिक परीक्षा का आयोजन	01.03 2026 से
4	वार्षिक परीक्षा परीणामो की घोषणा	10.06.2026
5	पुनर्मूल्यांकन की सभी परिणामो की घोषणा	31.07.2026 से
6	पूरक परिक्षा का आयोजन	यथासंभव न्युनतम अवधि में
7	पूरक परीक्षाओ की परिणामो की घोषणा	15.09.2026 तक
8	छात्रसंघ गठन चुनाव प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	शासन के निर्देशानुसार
9	क खेलकुद प्रतिस्पर्धा आरंभ किया जाना	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2025 से
	ख. खेलकुद प्रमिस्पर्धा का समापन	अंतिम सप्ताह नवम्बर 2025 तक
	ग. महाविद्यालय स्तर पर खेलकुद (इन्डोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एव पुरस्कार	प्रथम सप्ताह जनवरी 2026 तक
10	क. वृक्षारोपण कार्यक्रम	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2025
	ख. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन	प्रथम सप्ताह नवम्बर 2025 तक
	ग. महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक उत्सव का आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2026 तक
11	दशहरा अवकाश 03 दिन	29.09.2025 से 01.10.2025 तक
	दीपावली अवकाश 05 दिन	17.10.2025 से 21.10.2025 तक
	शीतकालीन अवकाश 03 दिन	26.12.2025 से 28.12.2025 तक
	ग्रीष्म कालीन अवकाश 30 दिन	16.05.2026 से 14.06.2026 तक

नोटः अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसो से कम होने की स्थिति में महाविद्यालय में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डो की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसो की पूर्ति की जाएगी, ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित हों।

प्रवेश के नियम

1. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना:

शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाईन फॉर्म जमा कराया जाता है। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होते है, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किया जाता है। विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों मे से महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जाता है—

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ऑफलाईन आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाऐंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष्य में अनिवार्यतानुरूप किसी भी संशोधन/परिवर्धन संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जाऐंगे।

2. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना:

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होंगे।(स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस तक) शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित किये जायेंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जाऐंगे। कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र—पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं पूर्व सेमेस्टर के कार्सेस/कोर्स क्रेडिट का मिलान करना आवश्यक होगा तथा आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति मे प्रवेश दिया जाएगा।

3. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना से उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

वार्षिक प्रणाली अंतर्गत (अंतिम वर्ष में) अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पूनर्गगणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पूनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिनद तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। 12वी कक्षा में पुनर्मुल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

सेमेस्टर प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है, परन्तु किसी सेमेस्टर के किसी कोर्स विशेष में प्रावधानानुसार निविदत मूल्यांकन (Challenged Valuation) द्वारा परिणाम में परिवर्तन होने की स्थिति में सेमेस्टरवार प्रोन्नति नियम(Semesterwise Promotion Rule) के अनुसार आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत होने की पात्रता होगी।

4. प्रवेश संख्या का निर्धारण

(अ) महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अंतर्गत ही **क्रमानुगत** सेमेस्टर के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

(ब) महाविद्यालय अंतर्गत प्रत्येक संकाय में अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया जाता है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रसेश संख्या के अनुसार ही आवेदकों को प्रवेश देते है।

(स) प्रवेश प्रक्रिया के आरंभ होने के पूर्व महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षानीति प्रावधानों के प्रमुख बिंदुओ सहित संस्थान्तर्गत संचालित संकायवार निर्धारित विषय समूह की सूची सूचना पटल पर लगायी जाती है।

5. प्रवेश सूचीः

(अ) प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जाती है।

(ब) प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियो को मूल प्रमाण पत्रो से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात के ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रेवेश देने के तात्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहियें।

(स) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

(द) घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर तत्सम्बन्धित सेमेस्टर/कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(इ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाएगा। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जाएगा। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाएगा।

(ई) महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

6. प्रवेश की पात्रताः

6.1 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेशः

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नही दिया जायेगा। संकायवार निर्धारित विषय समूह के अनुरूप हीं प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रत्येक सम सेमेस्टर (द्वितीय/चतुर्थ/षष्टम/अष्टम) में प्रवेश नवीनीकरण तथा विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में नियमित प्रवेश की पात्रता सम्बन्धित अध्यादेश/विनियम में उल्लेखित प्रोन्नत्ती नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी तथा किसी सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरुप ही होगी।

(ग) स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सप्तम में नियमित प्रवेश सम्बन्धित अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार दिया जायेगा।

7. समकक्ष परीक्षाः

(अ) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

(ब) सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ(एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

(स) सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है. की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

(द) वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाएगा।

8. बाह्य आवेदकों का प्रवेशः

(अ) स्नातक स्तर पर वर्षिक प्रणाली अन्तर्गत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/ विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाएगा। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाएगा।

(ब) छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष परीक्षा (वार्षिक प्रणाली हेतु) अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाएगा। राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत संचालित सेमेस्टर में क्रेडिट स्थनान्तरण के प्रावधान सम्बन्धित अध्यादेश में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जायेगा। तदनुसार स्नातक के

तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना कोर्स मिलान एवं क्रेडिट स्थनानंतरण पर आधारित होगा तथा सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार दिया जायेगा।

(द) वर्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

9. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगाः

(अ) वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत शेष वर्ष हेतु **स्नातक स्तर** की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में बैकलॉग परिणाम वाले आवेदकों को अगली सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की पात्रता, सम्बन्धित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगी।

(स) पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा (वर्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु लागू)।

10. प्रवेश हेतु अहर्ताएंः

(अ) किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी सत्र/सत्रों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परन्तु अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है अथवा स्वधायी विद्यार्थी के रूप में उसी संकाय में पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है।. यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

(ब) जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रह हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/भारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

(स) महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले रैगिंग के आरोपी छात्र /छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. प्रवेश हेतु आयु सीमाः

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15/08/2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप स्नातक स्तर पर स्वध्यायी विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जायेगा।

12. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारणः

12.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।

(क) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

12.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

13. प्रवेश हेतु प्राथमिकताः

(अ) स्नातक कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

(ब) स्नातक अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत अगली कक्षाओं/सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगा, तथापि प्राथमिकता नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

(स) स्नातक स्तर के 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाएगा।

14. आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगाः

14.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थातः

(अ) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ब) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(स) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं. तो इसे विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

14.2 (1)बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2)निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

14.3 <u>स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।</u>

14.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

14.5 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

14.6 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

14.7 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

14.8 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 12 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments-" का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

15. अधिभारः

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

15.1 एन.एस.एस.

(क)	एन.एस.एस. ''ए'' सर्टिफिकेटः	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस. "बी" सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(ग)	एन.एस.एस."सी" सर्टिफिकेट	04 प्रतिशत
(घ)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(ड)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

15.2 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएंः

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता मेंः

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले का	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.2 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता मेंः

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मेंः

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

15.3 **भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/ सांस्कृतिक/उसाहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को** — 10 प्रतिशत

15.4 **छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:**

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

15.5 विशेष प्रोत्साहन:

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओ/सेमेस्टर में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि:

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15.6 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक तृतीय/पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

16 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन:

स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अकादमिक कैलेण्डर में निर्धार्धारित सतत आंतरिक मूल्यांकन के प्रथम चरण के पूर्व दिनांक तक हीं दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

आचरण संहिता

विद्यार्थियों के लिए सामान्य नियमः

1. प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
2. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
4. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग,गाली गलौच, मारपीट या अस्त्र–शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

5. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार रखेगा।
6. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
7. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
8. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना,दीवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
9. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
10. महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
11. छात्र रैगिंग में लिप्त नहीं रहेंगे।
12. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में अपने वैध परिचय–पत्र के साथ ही प्रवेश करेंगे।

अध्ययन संबंधी नियम–

1. प्रत्येक विद्यार्थी की **75 प्रतिशत** उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. विद्यार्थी सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
6. अस्वस्थता के कारण आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
7. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

विश्वविद्यालय नामांकन संबंधीः

1 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्रों को नामांकन फार्म भरना होगा।
2 प्रथम सेमेस्टर में संकाय परिवर्तन पश्चात् प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा।
3 अमहाविद्यालयीन उत्तीर्ण छात्रों को नियमित प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा।

नोटः नामांकन के लिए समस्त कक्षाओं की अंक सूचियां (उत्तीण/अनुत्तीर्ण कक्षाओं की फोटो प्रति) पात्रता प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा। गैप होने पर गैप प्रमाण–पत्र (नोटरी का प्रस्तुत करना होगा)

प्रवेश इच्छुक विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ

1. छ.ग. शासन एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वार प्रसारित मार्गदर्शक सिद्धांतो, निर्देशों एवं आदेशों के अधीन ही विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।

2. स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए महाविद्यालय की अकादमिक परिषद्/विषय की पाठ्यक्रम समिति द्वारा पारित पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। स्वीकृत पाठ्यक्रम वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का चयन विभागाध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकेगा।
3. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर, बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित 102 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री–डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्र को इस विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. इस विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय या छत्तीसगढ़ के बाहर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

नोटः महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका एवं शासन की प्रवेश मार्गदर्शिका में विरोधाभास होने की स्थिति में शासन की प्रवेश मार्गदर्शिका को अंतिम माना जाये।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की पात्रता :

1. प्रत्येक विषय में कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. स्नातक स्तर की सेमेस्टर कक्षाओं में प्रत्येक विषय के 2 आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति अनिवार्य है।
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओ में सम्मिलित हुए छात्रो को उपस्थित माना जाए।
4. छात्रों के उपस्थिति की प्रथम गणना वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 30 सितम्बर तक की जाएगी एवं सेमेंस्टर परीक्षा प्रणाली में 30 अगस्त/28 फरवरी तक की जाएगी।
5. छात्रों की उपस्थिति की द्वितीय गणना वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 28 फरवरी तक की जाएगी एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में 31 अक्टूबर/15 अप्रैल तक की जाएगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रो को तथा उनके पालको को सूचना दी जावेगी।

विशेष

(अ) जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

(ब) प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

(स) प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

(द) प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

(इ) प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

(ड) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन /संशोधन /निरसन /संलग्न /शुद्धिकरण का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

1. प्रत्येक कार्य दिवस पर प्राध्यापकों को महाविद्यालय में 7 घंटे की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
2. कार्य दिवस का समय प्रातः 10:30 से 05:30 बजे संध्या तक।
3. 07 घंटे का कार्य विवरण–
   - 06 घंटे अध्ययन–अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमिडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।
   - 01 घंटा अन्य कार्य (खेलकुद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
4. समस्त प्रकार बैठक/स्टाफ कॉउंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात आयोजित की जावे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का निष्पादन अनिवार्यतः करेंगे।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालय में हेल्पडेस्क का गठन कर विद्यार्थियो को वांछित जानकारियां प्रदान करेगें।
7. यदि पाठ्यक्रम पूर्ण नही हुआ है, तो पाठ्क्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखड में यथोचित समय वृद्धि की जाए।
8. आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाए।
9. सभी प्राध्यापकों के लिए परीक्षा संबंधी कार्य जैसे– पेपर सेटिंग, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं वीक्षण ड्यूटी करना अनिवार्य है।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	विषय का नाम	सीटों की संख्या
बी.ए.	1. हिन्दी साहित्य 2. राजनीति विज्ञान 3. समाजशास्त्र 4. भूगोल	90
बी.एस.सी (विज्ञान)	1. प्राणीशास्त्र 2. वनस्पतिशास्त्र 3. रसायनशास्त्र	90
बी.एस.सी (गणित)	1. गणित 2. भौतिक 3. रसायनशास्त्र	90
बी. कॉम	वाणिज्य	90

शुल्कः 2025-26

क.	कक्षा	शासकीय शुल्क		अशासकीय शुल्क	जनभागीदारी शुल्क	कुल राशि	
		छात्र (सामान्य/ ओ.बी.सी)	छात्र/छात्रा (अनु.जा./अनु.जनजाति)			छात्र (सामान्य/ओ.बी.सी)	छात्र/छात्रा (अनु.जा./अनु.जनजाति)
1	बी.ए./बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर	120.00	5.00	784.00	600.00	1504.00	1389.00
2	बी..ए./बी.एस.सी प्रथम सेमेस्टर (भूगोल/विज्ञान)	140.00	25.00	884.00	600.00	1624.00	1509.00
3	बी..ए./बी.कॉम द्वितीय वर्ष	120.00	5.00	574.00	600.00	1294.00	1179.00
4	बी.ए./बी.एस. सी. द्वितीय वर्ष (भूगोल/विज्ञान)	140.00	25.00	674.00	600.00	1414.00	1299.00
5	बी.ए./बी.कॉम. तृतीय वर्ष	120.00	5.00	574.00	600.00	1294.00	1179.00
6	बी.ए./बी.एस. सी. तृतीय वर्ष (भूगोल/विज्ञान)	140.00	25.00	674.00	600.00	1414.00	1299.00

टीप :– सभी वर्ग की छात्राओं एवं अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के छात्र को शिक्षण की राशि रूपयें 115/– की छूट रहेगा।

छात्रवृत्तियां

महाविद्यालय में शासन की योजना अनुसार पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति, बी.पी.एल. छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाते है। जून माह में प्रवेश लेने पर पूरे 10 माह छात्र वृत्ति मिलता है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को ऑनलाईन आवेदन पश्चात छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाते है। विद्यार्थी सुनिश्चित कर लें कि उन्होने फार्म को सहीं ढ़ंग से ऑनलाईन कर महाविद्यालय में जमा करें। अन्यथा छात्रवृत्ति न मिलने पर जवाबदारी स्वयं विद्यार्थियों की होगी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) छात्र–छात्राओं के लिए विशेष योजनाः शासन के निर्देशानुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले छात्र–छात्राओं को बुक बैंक योजना एवं छात्र–कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त होगी अतएव संबंधित छात्र–छात्राएं प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही बी.पी.एल. प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तिः महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र–छात्राएं जो शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पात्र हैं शासन की निम्न वेबसाईट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् तुरंत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन आवेदन शासन की वेबसाईट (http://tribal-cg-gov-in@cschoolarship) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिशा–निर्देश दर्शायें गये है। आवेदन करने के पूर्व दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से अध्ययन करें।

महाविद्यालय ग्रंथालय

स्व.रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रंथालय है जिसमें सभी विषयों के 5000 से अधिक पुस्तके एवं पत्रिकाएं उपलब्ध है। इसके अलावा ग्रंथालय में पुस्तकों के अध्ययन एवं अध्यापन के लिए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त जगह है। जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी शांतिपूर्वक अध्ययन कर सकते है। e-book के अध्यन के लिए इंटरनेट की सुविधा भी है। हमारे महाविद्यालय का पंजीकरण NDLI में भी है, जिसका उपयोग विद्यार्थी और शिक्षक दोनो करते है। यह ग्रंथालय प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित ग्रंथालय समिति के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करता है।

पुस्तकालय के सामान्य नियम

1. महाविद्यालय मे ग्रंथालय खुलने का समय प्रातः 10:30 से 5:30 बजे तक है।
2. ग्रंथालय मे निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है एवं पाठको की सुविधा के लिए वाई–फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध है।
3. पुस्तकालय से पुस्तके प्राप्त करने व जमा करने हेतु कक्षावार समय एवं दिवस निर्धारित है, जिसकी जानकारी ग्रंथालय प्रभारी एवं सूचना पटल से प्राप्त किया जा सकता है।
4. निर्गमित पुस्तको के नियत तिथि में वापस न होने की दशा में विद्यार्थियों को प्रतिदिन 1/– रूपयें की दर से अर्थदण्ड देना होगा।
5. छात्र–छात्राओं द्वारा पुस्तक गुम हो जाने एवं नुकसान होने के स्थिति में पुस्तक का नवीनतम संस्करण पुस्तकालय में जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में वर्तमान बाजार मूल्य अर्थदण्ड सहित वसूल योग्य होगा।
6. पुस्तकालय की पुस्तको में लिखना, पृष्ठ निकालना एवं क्षतिग्रस्त करना दण्डनीय अपराध है। ऐसे कृत्य से बचें।
7. विद्यार्थी पुस्तकालय के सभी नियमों का पालन करे।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

1. कैरियर कॉउंसलिंग सेल

उच्च. शिक्षा के माध्यम से छात्र–छात्राओं को उनके भविष्य संवारने के उद्देश्य से उनकी रूची एवं योग्यता के अनुसार कैरियर का उचित क्षेत्र चुनने में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाता है। तथा उनकी जिज्ञासा एवं समस्याओं का समाधान महाविद्यालय स्तर पर किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाविद्यालय में समय पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है।

2. प्लेसमेंट सेल

तीव्र विकास के चलते अनेक उद्योगो एवं संस्थाएं जिनमे व्यापारिक व्यावसायिक आदि संस्थाओं से लेकर गैर व्यावसायिक संस्थाऐं भी शामिल है, संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इन संस्थाओं में मानव संसाधन के जरूरत निरंतर बनी रहती है। दुसरी ओर प्रशिक्षित युवाओं को ऐसे संस्थाओं मे सदैव रोजगार की तलाश रहती है। लम्बी चयन प्रक्रिया के जरिये नौकरी उपलब्ध कराने के बजाये ये संस्थाऐं सीधे शैक्षणिक सस्थाओ में आकर योग्य युवाओं का चयन कर सीधा रोजगार प्रदान करते है। महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के माध्यम से उक्त कार्य संपन्न किया जाता है इसके प्रभारी श्री एन.के. ध्रुव सहायक प्राध्यापक है।

3. आंतरिक शिकायत समिति

महाविद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिला कार्मिको के यौन उत्पीड़न लैंगिक भेदभाव संबंधित प्राप्त शिकायतों पर अनुरूप कार्यवाही एवं रोकथाम, निषेध और निवारण करना है। संस्थान के सभी महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल में सुरक्षित परिवेश को बनाए रखना है। संपर्कः– 7980716869

4. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोकतत्र में उत्तरदायी सरकार से देश की सामान्य जनता को शासन की कार्यप्रणाली, किये जा रहे सार्वजनिक कार्य, लोक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व को जानने का अधिकार देता है। उक्त उद्देश्यों के पूर्ति हेतु महाविद्यालय में पृथक रूप से सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ के माध्यम से महाविद्यालय में सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनो का समुचित निराकरण किया जाता है। प्रकोष्ठ के संचालन हेतु जनसूचना अधिकारी डॉ. अभिलाषा सैनी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी श्री आर.एल. देवांगन है।

5. एन.एस.एस.

भारत सरकार खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई महाविद्यालय में संचालित है। इसके अंतर्गत 2 वर्ष में 240 घंटें का कार्य पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय द्वारा 'बी' प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। रा.से.यो. के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है।

6. रेड–रिबन क्लब

राष्ट्रीय सेवा योजना एवं छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त क्रियान्वयन अंतर्गत महाविद्यालय में रेड–रिबन क्लब इकाई संचालित है। इसके अंतर्गत महाविद्यालय एवं जन जागरूक के माध्यम से एड्स जागरूकता के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है।

7. रेड–क्रॉस

महाविद्यालय में रेड–क्रॉस सोसायटी की स्थापना 2023 में हुई थी, जिसका उद्देश्य संकट, आपदा, युद्ध या महामारी जैसी परिस्थितियों में जरूरतमंदो की मदद करना है। यह संगठन निःस्वार्थ सेवा, मानवीय सहयता और स्वेच्छा से कार्य करने के सिद्धांतो पर आधारित है।

उद्देश्यः

1. स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना।
2. प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देना।
3. रक्तदान शिविरो का आयोजन।
4. स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन।
5. युवाओं में सेवा भावना।

महाविद्यालय के रेड–क्रॉस प्रभारी प्रियंका पाटले है। मो.नं. 7980716869

8. महिला शिकायत निवारण समिति

महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्राओं की गरिमा की रक्षा हेतु समिति कार्यरत् है। इस समिति का उद्देश्य छात्राओं को एक सुरक्षित सम्मानजनक एवं सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करना है। जिससे वे अपने शैक्षणिक व व्यक्तिगत विकास को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सके। महिला सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रभारी प्रियंका पाटले

9. युवा उत्सव

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, प्रतिभा और सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है , जहां वे अपनी कलात्मक, साहित्यिक, संगीत, नृत्य, अभिनय एवं प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके।

11. क्रीडा

महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के बहुमूखी विकास का प्रयास किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको पाठ्यक्रम में पारंगत करने के साथ–साथ विभिन्न खेल–कूद तथा अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि छात्र–छात्रा महाविद्यालय से दिक्षित हो कर निकले तो उन्हे जीवन के किसी भी क्षेत्र में कठिनाई का अनुभव न हो।

नीचे इन उपकम का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

आउटडोरः

1 क्रिकेट 2. फुटबाल 3. बास्केटबाल 4 बेडमिंटन 5. कबडड्डी 6 खो–खो 7. वॉलीबाल
8. एथेलेटिक्स

इंडोरः

1 टेबल टेनिस 2. शतरंज 3. कैरम

12. NEP हेल्प डेस्क

महाविद्यालय में विद्यार्थियों, अभिभावको एवं शिक्षको नई शिक्षा नीति (NEP) से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु NEP हेल्प डेस्क है। इस का उद्देश्य शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को समझने में सभी संबंधित पक्षों की सहायता करना तथा छात्रों उनके शैक्षणिक एवं करियर विकल्पों के बारे में सशक्त बनाना है। विद्यार्थी NEP हेल्पडेस्क से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते है या निर्धारित फोन नम्बर के माध्यम से अपना प्रश्न भेज सकते है। प्रभारी– 7980716869

13. महाविद्यालय हेल्प–डेस्क

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। हेल्प डेस्क में छात्र/छात्राओं की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किया जाता है–

1. विश्वविद्यालय / महाविद्यालयीन परीक्षा संबंधी ।
2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी।
3. खेलकूद गतिविधि संबंधी ।
4. छात्रावास संबंधी ।
5. ग्रंथालय संबंधी ।
6. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति जैसे बी.पी.एल., पोस्ट मैट्रिक एकीकृत छात्रवृत्ति, इत्यादि।
7. छात्र/छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदान करने संबंधी।
8. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी संबंधी ।
9. साइकिल स्टैण्ड संबंधी।
10. रैगिंग संबंधी शिकायत ।
11. प्रयोगशाला संबंधी ।
12. प्रसाधन कक्ष संबंधी ।
13. अध्यापन कक्षों की साफ–सफाई संबंधी।
14. एन.एस.एस. संबंधी गतिविधियां ।

इसके अतिरिक्त महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय में पृथक से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसकी संयोजक प्रियंका पाटले हैं।

14. राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सहित पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन किया जाता है।

विशेष अपीलः– (महाविद्यालय में अध्ययन कर चूके पूर्व छात्रों से)

महाविद्यालय में अध्ययन कर चूके विद्यार्थियों से निवेदन है, कि वे इस गौरवमयी संस्था के उत्तरोत्तर विकास में अपना अमूल्य योगदान/सहयोग दें। महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास में कई प्रकार से योगदान/सहयोग दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अपने परिजन की स्मृति में मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार/मैडल, ग्रंथालय के लिए पुस्तकें आदि खेलकूद की क्षेत्र में सुविधा/पुरस्कार निर्धन छात्रों को सहायता, महाविद्यालय परिसर के विकास में सहयोग आदि। महाविद्यालय में ''एलुमिनी एसोसिएशन'' (Alumini Association) का विधिवत गठन किया गया है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर सकते है।

15. एंटी रैगिंग समिति

महाविद्यालय में एंटी रैगिंग समिति कार्यरत है। कोई भी रैगिंग दण्डनीय अपराध है। इसके रोकथाम के लिए महाविद्यालय के द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रैंगिक के कारण छात्रों को शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है। रैंगिंग के कारण छात्रों में डर, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं भी हो सकती है।

रैगिंग के श्रेणीः

1. छात्र को मानसिक रूप से परेशान करना, या उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करना।
2. छात्र को शारीरिक नुकसान पहुचाना या उसे अपमानित करना।
3. अश्लील प्रश्न पूछने एवं उनके उत्तर देने हेतु दबाव बनाना।
4. नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरित अघात पहुंचाने अथवा अश्लील चित्रों को देखन के लिए

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाले दण्डः

1. प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
2. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोका जा सकता है।
3. परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है।
4. संस्था से रेस्टीगेट किया जा सकता है।
5. आर्थिक दण्ड रू. 25000 / – तक लिया जा सकता है।

स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका–निपनिया
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

ग्रंथालय सदस्यता हेतु आवेदन पत्र (Library Membership Form)

Name of Applicant (in English) ……………………………………….
आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ……………………………………………
पिता का नाम : ……………………………………………………………...
नमूना हस्ताक्षर
Category of Applicant : ……………………………… (Gen/SC/ST/OBC/BPL
Class …………………………… Roll No. ………………………… Sec …………………..…..
विषय / ग्रुप : ……………………………………………………………………………………
मोबाईल / फोन नम्बर :……………………………………………………………………
ईमेल : ………………………………………………………………………………………
स्थाई पता : ……………………………… मकान नं. ………………… वार्ड नं. ………………
(पता के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज लगावें)
पोस्ट ……………………………… गांव …………………...
थाना ……………………………….. तहसील ………………..
जिला …………………… प्रदेश …………. पिन ………......
वर्तमान पता : …………………… मकान नं. ……… वार्ड नं. ……………...
पोस्ट …………………………… गांव ……………………
थाना …………………………… तहसील …………………
जिला …………... प्रदेश ……………… पिन ……………….

घोषणा पत्र

मै घोषणा करता / करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है यदि असत्य पायी जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त करने योग्य होगा।

मैं ………………………… पिता / पति श्री……………………… घोषणा करता / करती हूं कि मैं ग्रंथालय के समस्त के समस्त नियमों का पालन करूंगा / करूंगी। नियमों के अनुसार पुस्तकों को समय पर वापिस करूंगा / करूंगी। यदि मेरे द्वारा समय पर पुस्तकें नहीं लौटाई गयी तो मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु महाविद्यालय को अधिकार होगा।

हस्ताक्षर ……………………………………
स्थानः
आवेदक का नाम ……………………………
कक्षा……………………………………………
दिनांकः
हस्ताक्षर ……………………………………
पिता का नाम ………………………………

महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु महत्त्वपूर्ण सम्पर्क नं. एवं सम्पर्क स्थल

क्र.	कार्य का विवरण	प्रभारी का नाम	संपर्क स्थल
1	महाविद्यालय से संबंधित किसी प्रकार के सुझाव, प्रवेश अथवा शिकायत हेतु	प्राचार्य, 9425223912	प्राचार्य कक्ष
2	सूचना का अधिकार	प्राचार्य, 9425223912	प्राचार्य कक्ष
3	परीक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य	श्री एन.के. ध्रुव (सहा.प्रा.) 7869695520	स्टॉफ रूम
4	कार्यालय से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/असुविधा होने संबंधी	मुख्य लिपिक (श्री संपत लाल साहू) 7415148201	कार्यालय
5	शुल्क से संबधित	मुख्य लिपिक (श्री संपत लाल साहू) 7415148201	कार्यालय
6	छात्रवृत्ति	श्री राजा राम धुर्वे (सहा.प्रा.) 9617804070	पुस्तकालय
7	सथानांतरण प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र नामांकन आदि से संबंधित	श्री मंगलूराम निषाद 9617533696	कार्यालय
8	एन.एस.एस. (संयुक्त इकाई) से संबंधित	प्रियंका पाटले 9754155113	एन.एस.एस. कक्ष
9	यूथ रेडक्रॉस इकाई	प्रियंका पाटले 9754155113	एन.एस.एस. कक्ष
10	एंटी रैगिंग सेल (छात्र–छात्राओं) से संबंधित प्रकरण	श्री राजा राम धुर्वे 9617804070	पुस्तकालय
11	कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत	प्रियंका पाटले 9754155113	एन.एस.एस. कक्ष
12	ग्रंथालय संबधी जानकारी	श्री राजा राम धुर्वे, प्रभारी 9617804070	पुस्तकालय
13	खेलकूद आयोजनों संबंधी जानकारी	नेहा केरकेट्टा क्रीडा प्रभारी, 9644085087	क्रीडा कक्ष
14	हेल्प डेस्क	प्रियंका पाटले 9754155113	एन.एस.एस. कक्ष
15	आईक्यूएसी	श्री एन.के. ध्रुव (समन्वयक) 7869695520	स्टॉफ रूम
16	यूजीसी	श्री एन.के. ध्रुव, (संयोजक) 7869695520	स्टॉफ रूम
17	कैरियर गाईडेंस/ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल	श्री एन.के. ध्रुव 7869695520	स्टॉफ रूम
18	मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र	श्री एन.के. ध्रुव, (संयोजक) 7869695520	स्टॉफ रूम

महाविद्यालयीन स्टॉफ

1.	डॉ. अभिलाषा सैनी	प्राचार्य	9425223912
2.	श्री नारायण कुमार ध्रुव	सहायक प्राध्यापक(राजनीति विज्ञान)	7869692520
3.	श्री रोहित लाल देवांगन	सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)	7697400334
4.	श्री राजा राम धुर्वे	सहायक प्राध्यापक (भूगोल)	9617804070
5.	नेहा केरकेट्टा	सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र)	7974340814
6.	प्रियंका पाटले	सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)	9754155113
7.	श्रीमती तृप्ति साव	सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)	9575563967
8.	डॉ. अमित कुमार	अतिथि व्याख्याता (हिन्दी)	8090660296
9.	श्री युवराज दीक्षित	अतिथि व्याख्याता (वनस्पतिशास्त्र)	9755194072
10.	श्री संपत लाल साहू	सहायक ग्रेड–2	7415148201
11.	श्री मंगलू राम निषाद	सहायक ग्रेड–3	9617533696
12.	श्री तामेन्द्र नेताम	प्रयोगशाला तकनीशियन	9575758244
13.	श्री इन्द्रकांत सोनवानी	भृत्य	9009587543
14.	श्री खिलेश्वर	डाटा एंट्री ऑपरेटर (ज.भा.)	8827193146
15.	श्री केशव प्रसाद यादव	चौकीदार (ज.भा.)	6264318693

विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट भागीदारी:

एन.एस.एस (राज्य स्तरीय शिविर में सहभागिता)

राकेश रात्रे (2023–24)

प्रीतम निषाद (2023–24)

खेलकूद (राज्य स्तरीय सहभागिता)

परमेश्वर रजक (2023–24)
खो–खो

महेश यादव (2023–24)
खो–खो

खिलेश्वर साहू (2024–25)
1500 मीटर दौड़

जिला स्तरीय में सहभागिता

पायल साहू (2023–24)
रंगोली (द्वितीय)

तारणी साहू (2024–25)
पोस्टर (द्वितीय)

तारिका साहू (2024–25)
रंगोली (प्रथम)

महाविद्यालय के उपलब्धियों की झलकियाँ

युथ रेड क्रॉस

युथ फेस्ट रायपुर

सांस्कृतिक कार्यक्रम

एन.एस.एस. सात दिवसीय शिविर

अन्य गतिविधियां